प्रकरण संख्या 13/2023 भैरूसिंह बनाम मोडी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.11.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चेता आसन, तहसील देवगढ़ में आराजी नंबर 60, 66 कुल किता 2 रकबा 11 बिस्वा भूमि स्थित है, जो नाहरमल पिता धुलीराम माली के खुदकाश्त की स्वअर्जित खातेदारी की भूमि थी, जिसमें अन्य कोई भागीदार सरीक नहीं था। नाहरमल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा दिनांक 09.06.2009 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वादी को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया। उक्त विक्रय पत्र के पश्चात् पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 246 से नन्द कंवर पत्नी भैरूसिंह के नाम खोलकर मनमकसूद तरीके से उक्त नामान्तरकरण को जैर पेण्डिंग कर दिया, जिससे भूमि आज तक वादी की पत्नी व उसकी मृत्यु के बाद वादी के नाम दर्ज नहीं हुई तथा नाहरमल की मृत्यु पश्चात् उक्त आराजी नंबर 60 व 66 एवं चाह नंबर 55 व 56 मे से एक दिन का सिंचाई का ओसरे का हिस्सा विरासत से नाहरमल के वारिसान प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया, जबकि वास्तविक मालिक काबिज वादी है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर वाद वर्णित आराजी नंबर 60, 66 कुल किता 2 रकबा 11 बिस्वा तथा चाह नंबर 55, 56 में से ओसरा एक-एक दिन जो प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, उसे विलोपित किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पूर्व में आप न्यायालय में प्रकरण संख्या 62/2016 प्रस्तुत हुआ था उसमें नाहरमल का 1/3 हिस्से का खातेदार था, शेष भूमि अन्य प्रतिवादीगण की थी। दौराने वाद एवं अपील नाहरमल ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा नन्द कंवर को विक्रय कर दिया, जबकि उसे अपने हक हिस्से से अधिक भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था। उक्त विक्रय धारा 52 के तहत शून्य है। वास्तव में उक्त आराजियात में नाहरमल का 1/3 हिस्सा था तथा सहखातेदार हगामी बेवा कानमल की	

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:53 IST
Reason: SelfAttested

मृत्यु के बाद उसका 1/2 हिस्सा ही बनता है, उससे अधिक किया गया विक्रय शून्य है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय दिनांक 30.04.2018 से वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार कर विवादित आराजियात के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा दिनांक 21.04.2023 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के परिवार में काफी हादसे हुए एवं उनकी मानसिक हालत अस्त–व्यस्त रही तथा काफी परेशानियों से गुजरना पड़ा, जिन परिस्थितियों की वजह से अपीलान्ट समय पर अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण पर गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी नंबर 60, 66 कुल किता 2 रकबा 11 बिस्वा का समस्त हिस्सा तथा चाह नंबर 55, 56 में से ओसरा एक–एक दिन खातेदार नाहरमल द्वारा वादी/अपीलान्ट की पत्नी श्रीमती नन्द कंवर के पक्ष में दिनांक 09.06.2009 को किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया है, जिसके वर्तमान खसरा नंबर 61 रकबा 0.0400 हैक्टर, आराजी नंबर 66 रकबा 0.0800 हैक्टर व चाह नंबर 76, 77 हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/वादी को सिर्फ 1/2 हिस्से का ही खातेदार घोषित किया है, जो विधि विरूद्ध है, क्योंकि विवादित भूमि में नाहरमल के भाई रामा व काना का कोई हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:53 IST
Reason: SelfAttested

व हिस्सा नहीं था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार हाल खसरा नंबर 61 रकबा 0.0400 हैक्टर, आराजी नंबर 66 रकबा 0.0800 हैक्टर सम्पूर्ण व चाह नंबर 76, 77 में से 1–1 दिन का ओसरा का खातेदार घोषित किया जावे।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 में विवादित आराजी नंबर 60, 66 कुल किता 2 रकबा 11 बिस्वा भूमि नाहरमल के खातेदारी में दर्ज है तथा नाहरमल द्वारा उक्त समस्त आराजियात का रजिस्टर्ड विक्रय दिनांक 09.06.2009 को वादी की पत्नी नन्द कंवर के पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया है तथा साथ ही चाह नंबर 55 व 56 में से एक–एक दिन का ओसरा विक्रय किया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र एक पैराग्राफ में विवेचन करते हुए उक्त विक्रय पत्र को दौराने वाद किया जाना मानते हुए वादी/अपीलान्ट को 1/2 हिस्से का ही खातेदार घोषित किया है, जो प्रथम दृष्टया उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बरूऐ त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को प्लीडिंग्स के आधार पर तनकियात कायम कर तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 8/2017 में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2018 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वाद एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर तथा पक्षकारान की साक्ष्य लेकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
व राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:53 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.12 11:23:53 IST
Reason: SelfAttested